न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12 / 98 / 2025

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2025 / 247

प्रवेश तिथि :: 18.06.2025

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री विजयसिंह नरूका,
नि. 74, अरावली विहार विस्तार योजना,
सूर्य नगर, अलवर–301001

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 29.07.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, किन्तु प्रत्यर्थी को ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक: 16.05.2025 प्रस्तुत कर, स्वयं व उनकी पत्नि शारदा देवी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र सं. 11035 / 28.03.2025, 11034 / 28.03.2025 एवं 11125 / 02.04.2025, कितने दिन, किस अधिकारी के पास विचाराधीन रहे, नोटसीट–पत्रावली आदि संबंधी कुल 03 बिन्दुओं पर सूचना / प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. सूचना आवेदन दिनांक: 16.05.2025 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय–पत्र सं. नविवि / आर. टी.आई / 2025 / 1686 दिनांक: 20.05.2025 के विरूद्ध उक्त अपील, अपीलार्थी द्वारा संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. यू.आई.टी. / आर.टी.आई. / 2025 / 5782 दिनांक: 15.07.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना आवेदन दिनांक: 16.05.2025 के माध्यम से किसी विशिष्टीकृत आदेश, अभिलेख की प्रति नहीं चाही जाकर, काल्पनिक, प्रश्नात्मक, संरचनात्मक, विश्लेषणात्मक, लोक प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण स्परूप सूचना चाही गई है जो कि भारत सरकार के परिपत्र दिनांक: 10.07.2008 मय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक: 02.02.2009 व दिनांक: 16.12.2011 के आलोक में देय नहीं है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है, **अपील अस्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 29.07.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)